# मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः13.10.2025

## थाना जिगना क्षेत्रान्तर्गत घनी आबादी/रिहायशी इलाके में स्थित फर्नीचर की दुकान में अवैध रुप से भारी मात्रा में भण्डारण किया हुआ बारूदयुक्त अवैध पटाखा(मात्रा 08 कुंतल 25 किग्रा) बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा आगामी त्योहार-दीपावली, धनतेरस व छठ पूजा पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण व बिक्री में संलिप्त लोगो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में 'मनीष कुमार मिश्रा' अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व 'अशोक कुमार सिंह' क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना जिगना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 13.10.2025 को थाना जिगना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना जिगना क्षेत्रांतर्गत हरगढ बाजार स्थित फर्नीचर की दुकान में दबिश देकर एक अभियुक्त शनि केशरवानी पुत्र लालजी केशरवानी निवासी गौरा थान जिगना जनपद मीरजापुर (हालपता हरगढ बाजार थाना जिगना ,मीरजापुर) उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के अवैध रुप भण्डारण किया हुआ बारूदयुक्त पटाखा (मात्रा 08 कुंतल 25 किग्रा) बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जिगना पर मु0अ0स0- 215/2025 धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम- 1884 पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ विवरण —**

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हमारी फर्नीचर की दुकान है। दीपावली व छठ आदि त्यौहारों के मद्देनजर अधिक लाभ कमाने के नियत से दुकान के उपरी मंजिल पर अवैध रूप से बारूदयुक्त पटाखों का भण्डारण किया गया था जिसे मांग के अनुसार चोरी से थोक में बेचकर त्योहारो पर अच्छी खासी कमाई की जाती।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —**

शनि केशरवानी पुत्र लालजी केशरवानी निवासी गौरा थान जिगना जनपद मीरजापुर(हालपता हरगढ़ बाजार)उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

कुल 08 कुंतल 25 किग्रा विभिन्न प्रकार का अवैध पटाखा(बुलेट बम , मिनी बम, हाइड्रो बम, चटाई, फुलझरी, रॉकेट)

**पंजीकृत अभियोग —**

मु0अ0सं0-215/2025 धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम-1884 थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

**गिरफ्तारी स्थान, दिनांक व समय –**

हरगढ बाजार स्थित अभियुक्त के फर्नीचर की दुकान से, आज दिनांकः13.10.2025 को समय 14:29 बजे।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —**

उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, थानाध्यक्ष जिगना, मीरजापुर।

उपनिरीक्षक अवधेश सिंह, चन्द्रशेखर प्रसाद, जयजय राम व तारकेश्वर सिंह।

मुख्य आरक्षी चन्द्रशेखर सिंह, विवेक सिंह, सन्तोष यादव, संजय राय व इन्द्रेश यादव।

आरक्षी सुधीर कुमार, आशुतोष पटेल व महिला आरक्षी साधना मिश्रा।

******